संख्या-79/2019/910/41-2019-14 (बजट)/2019 टी0सी0

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ दिनांक 06 मार्च, 2019**

विषयः अयोध्या में पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत पर्यटन आकर्षण की दृष्टि से भगवान श्री राम पर आधारित डिजिटल म्यूजियम, इण्टरप्रेटेशन सेन्टर, लाईब्रेरी, पार्किंग, फूड प्लाजा, लैण्डस्केपिंग एवं श्री राम की प्रतिमा एवं अन्य मूलभूत पर्यटक सुविधाओं की प्रायोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7294/2019 दिनांक 15 फरवरी, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या में पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत पर्यटन आकर्षण की दृष्टि से भगवान श्री राम पर आधारित डिजिटल म्यूजियम, इण्टरप्रेटेशन सेन्टर, लाईब्रेरी, पार्किंग, फूड प्लाजा, लैण्डस्केपिंग एवं श्री राम की प्रतिमा एवं अन्य मूलभूत पर्यटक सुविधाओं की प्रायोजना का क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(1) अयोध्या में पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत पर्यटन आकर्षण की दृष्टि से भगवान श्री राम पर आधारित डिजिटल म्यूजियम, इण्टरप्रेटेशन सेन्टर, लाईब्रेरी, पार्किंग, फूड प्लाजा, लैण्डस्केपिंग एवं श्री राम की प्रतिमा एवं अन्य मूलभूत पर्यटक सुविधाओं का सृजन किया जायेगा।

(2) प्रस्तावित प्रायोजना के तकनीकी प्रस्ताव, डिजाईन आदि तैयार करने एवं निर्माण सम्बन्धी अग्रतर आवश्यक कार्यो को किये जाने हेतु गुजरात मॉडल से यथोचित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त करने के लिये गुजरात सरकार के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक ''मेमोरैन्डम ऑफ अण्डरस्टैन्डिग'' का अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा।

(3) प्रायोजना हेतु जिलाधिकारी, अयोध्या के द्वारा चिन्हित कुल आवश्यक 28.2824 हेक्टेयर भूमि के मुआवजा स्वरूप कुल रू0 38,06,11,212.00 निर्धारित/आकलित की गई है। तद्नुसार चिन्हित भूमि के क्रय/अधिग्रहण, मृदा परीक्षण, विन्डटनल टेस्ट, डिजाईन डेवलेपमेन्ट, डी0पी0आर0 प्रिपरेशन एवं स्थल विकास आदि कार्यो के लिये अनुमानित धनराशि रू0 200.00 करोड़ की व्यवस्था की जायेगी। प्रायोजना में प्रतिमा के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि का वहन सी.एस.आर. फण्ड/दान आदि जैसे स्रोतों से किया जायेगा। प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रतिमा को पूजा की दृष्टि से नहीं, बल्कि पर्यटन-आकर्षण की दृष्टि से स्थापित किया जायेगा।

(4) प्रायोजना हेतु गुजरात मॉडल के आधार पर प्रायोजना के प्रयोजनार्थ मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट का गठन करते हुए इसके नियम व उप नियमों का निर्धारण कर इसका सोसाईटी ऐक्ट में पंजीकरण कराया जायेगा। ट्रस्ट का स्वरूप हाईपावर कमेटी द्वारा निश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) प्रायोजना के प्रकल्प, निर्माण एवं प्रबन्धन आदि से सम्बन्धित कार्यो के सुचारू सम्पादन हेतु निम्नलिखित समितियां गठित की जाती हैं:-

(क) हाईपावर कमेटी- यह कमेटी प्रायोजना से सम्बन्धित सभी नीतिगत निर्णय व आवश्यक दिशा-निर्देश देगी।

क्र0सं0	पदाधिकारी	पदनाम
1	2	3
1	मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	मा0 उपमुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन (प्रथम)	सदस्य
3	मा0 उपमुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन (द्वितीय)	सदस्य
4	मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5	मा0 मंत्री संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6	मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य-सचिव
9	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
10	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
11	प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
12	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
13	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
14	प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
15	प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ	सदस्य
16	मुख्य वास्तुविद्, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ	सदस्य
17	महाप्रबन्धक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि0, अयोध्या	सदस्य

ख- बिड इवैल्यूवेशन कमेटीः- यह कमेटी बिड की प्रक्रिया से सम्बन्धित सभी कार्य सुनिश्चित करेगी।

क्र0सं0	पदाधिकारी	पदनाम
1	2	3
1	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5	आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या	सदस्य
6	जिलाधिकारी, अयोध्या	सदस्य
7	प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ	सदस्य-सचिव
8	महाप्रबन्धक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि0, अयोध्या	सदस्य
9	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या	सदस्य
10	मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, अयोध्या	सदस्य
11	वित्तीय सलाहकार, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि0।	सदस्य
12	मुख्य वास्तुविद्, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ	सदस्य

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ग- स्टीयरिंग कमेटीः- यह कमेटी योजना के क्रियान्वयन हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय करते हुये प्रायोजना का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करेगी।

क्र0सं0	पदाधिकारी	पदनाम
1	2	3
1	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य-सचिव
3	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
10	प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ	सदस्य
11	महाप्रबन्धक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि0, अयोध्या	सदस्य

घ- टेक्निकल/एक्सपर्टस कमेटीः- यह कमेटी प्रायोजना के तकनीकी बिन्दुओं पर एक्सपर्ट आदि का परामर्श लेकर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।

क्र0सं0	पदाधिकारी	पदनाम
1	2	3
1	अपर मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3	प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ	सदस्य-सचिव
4	श्री वीरेन्द्र कुमार, आईआईटी, बीएचयू, वाराणसी	सदस्य
5	श्री दुर्गेश राय, आईआईटी, कानपुर	सदस्य
6	महाप्रबन्धक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि0, अयोध्या	सदस्य
7	प्रिंसिपल, उ0प्र0 वास्तुकला विद्यालय, लखनऊ।	सदस्य

(6) प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में हाईपावर कमेटी की संस्तुतियों के पश्चात् अग्रतर आवश्यक निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

कृपया तद्नुसार प्रायोजना के क्रियान्वयन हेतु उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-79/2019/910(1)/41-2019-14 (बजट)/2019 टी0सी0 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन (प्रथम)।
3- निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन (द्वितीय)।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, पर्यटन विभाग/ वित्त विभाग/नगर विकास विभाग/वन एवं वन्य जीव विभाग/पर्यावरण विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ औद्योगिक विकास विभाग/ ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
10- मुख्य वास्तुविद्, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
11- महाप्रबन्धक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि0, अयोध्या।
12- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
13- जिलाधिकारी, अयोध्या।
14- वित्तीय सलाहकार, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि0।
15- श्री वीरेन्द्र कुमार, आईआईटी, बीएचयू, वाराणसी।
16- श्री दुर्गेश राय, आईआईटी, कानपुर।
17- प्रिंसिपल, उ0प्र0 वास्तुकला विद्यालय, लखनऊ।
18- संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
19- वेब अधिकारी।
20- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।